प्रेस विज्ञाप्ति

आज दिनांक 13 जून, 2018 को राज्य आर0 सी0 एच सभागार में प्रधान सचिव महोदया, श्रीमती निधि खरे, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम की समीक्षा की गई जिसमें श्री कृपा नन्द झा, अभियान निदेशक, एन0एच0एम0, डॉ0 सुमंत मिश्रा, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, श्री आसिफ एकराम, प्रशासी पदाधिकारी सह नोड्ल पदाधिकारी राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम, डॉ0 एस0 के0 सिंह, नोड्ल पदाधिकारी गुणवत्ता कोषांग, डॉ0 वीणा सिन्हा नोड्ल पदाधिकारी मातृत्व स्वास्थ्य कोषांग, डॉ0 दीपावली नोड्ल पदाधिकारी शिशु स्वास्थ्य कोषांग तथा राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम के राज्य स्तरीय परामर्शी एवं अन्य प्रतिभागी उपस्थित थे। बैठक में प्रधान सचिव महोदया के द्वारा निम्न निदेश दिये गये :–

- एन0 एच0 एम0 अंतर्गत अनुबंध अधारित चिकित्सकों की अधिकतम आयु सीमा 67 वर्षो तक तय करने का निर्णय लिया गया। उक्त आयु सीमा में बढोत्तरी आगामी शासकीय निकाय के स्वीकृति के प्रत्याशा में यह निर्णय लिया गया।
- राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम अंतर्गत वैसे सभी शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों यथा– चतरा, सिमडेगा, हजारीबाग, पूर्वी सिंहभूम, खुंटी एवं गुमला एवं शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रांची जिला जिसका अभी तक संचालन नहीं किया जा सका उसे यथाशीध्र प्रारंभ कर लोकार्पित करने का निदेश दिया गया।
- दिनांक 18 जून 2018 से 20 जून 2018 तक अंतराष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य पर प्रत्येक शहरी स्वास्थ्य केन्द्रों में एक विशेष योग शिविर आयोजित करने का निदेश दिया गया जिसमें विशेष रूप से शहरी प्रक्षेत्रों के उन मधुमेह एवं अन्य रोगों से ग्रसित व्यक्तियों को लाभान्वित करने का निदेश दिया गया।
- परिवार नियोजन कार्यक्रम अंतर्गत सभी शहरी स्वास्थ्य केन्द्रों में कंड़ोम का वितरण सुनिश्चित किया जाय। उक्त हेतु कंड़ोम Dispenser/पेटी का अधिष्ठापन U-PHC पर किया जाय।
- शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के ए0 एन0 एम0 एवं सहिया को नियमित रूप से शहरी स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस (UHND) करने हेतु मुख्यालय से वार्षिक कैलेंडर तैयार करने का निदेश दिया गया जिससे शहरी प्रक्षेत्र के सामुदाय को लाभान्वित किया जा सके।
- प्रत्येक सप्ताह एक उपलब्धि से भरी सफल कहानी की पहचान कर उसकी विस्तृत विवरणी से मुख्यालय को अवगत कराया जाय तथा उक्त की जानकारी प्रेस/मिडिया के माध्यम से सार्वजनिक किया जा सके।
- सभी शहरी स्वास्थ्य केन्द्रों में रोगी कल्याण समिति का गठन कर यथाशीघ्र क्रियाशील करने हेतु निदेश दिया गया।

Spatno
13.06.2018

State Urban Manager
M & E And MIS, NUHM Cell
RCH, Namkum, Ranchi